

Result Mitra Daily Magazine

कोविड महामारी के बाद चीन की अफ्रीका में वापसी

चर्चा में क्यों?

- उधार, निवेश और व्यापार डेटा के रॉयटर्स विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक महामारी के बाद अब चीन का प्रमुख आर्थिक सहयोग कार्यक्रम फिर से पटरी पर लौट रहा है, जिसमें अफ्रीका पर प्राथमिक ध्यान दिया जा रहा है।
- चीनी नेता महाद्वीप के आधुनिकीकरण में सहायता करने और "जीत-जीत" सहयोग ("win-win" cooperation) को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में नई निर्माण परियोजनाओं और रिकॉर्ड दोतरफा व्यापार के लिए प्रतिबद्ध अरबों डॉलर का हवाला दे रहे हैं।



अफ्रीका में चीन की वापसी के निहितार्थ

- दरअसल रॉयटर्स विश्लेषण का डेटा एक अधिक जटिल संबंध को प्रकट करता है, कि अब तक बेल्ट एंड रोड पहल चीन के उम्मीद पर खरा उतरने में विफल रही है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन को दुनिया से जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे के नेटवर्क का निर्माण करने की रणनीति है।
- ऑस्ट्रेलिया के ब्रिफिथ विश्वविद्यालय में ब्रिफिथ एशिया संस्थान के अनुसार, पिछले साल अफ्रीका में चीन के नए निवेश में 114% की वृद्धि हुई, लेकिन यह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक खनिजों और चीन की अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की योजनाओं पर बहुत अधिक केंद्रित था।
- हालांकि कृषि उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं सहित अफ्रीका से अन्य आयातों को बढ़ावा देने के प्रयासों में कमी आने के कारण, चीन के साथ महाद्वीप का व्यापार घाटा बढ़ गया है।
- चीनी का संप्रभु ऋण, जो कभी अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण का मुख्य स्रोत था, दो दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर है।
- तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), जिसे चीन ने वैश्विक स्तर पर अपने नए पसंदीदा निवेश मॉडल के रूप में प्रचारित किया है, अभी तक अफ्रीका में गति नहीं पकड़ पाया है।
- इसका परिणाम चीन-अफ्रीका संबंध, चीन द्वारा बताए गए संबंधों से कहीं अधिक एकतरफा है, जिसमें अफ्रीका के कच्चे माल के आयात की मात्रा काफी अधिक है।

- कुछ विश्लेषकों का तर्क है कि इसमें अफ्रीका महाद्वीप के साथ औपनिवेशिक युग के यूरोप के आर्थिक संबंधों की प्रतिध्वनियाँ हैं।
- हालांकि चीन ऐसे दावों को खारिज करता है।
- चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार "अफ्रीका के पास अपने बाहरी संबंधों को विकसित करने और अपने भागीदारों को चुनने का अधिकार, क्षमता और समझदारी है। अपनी विशेषताओं के अनुसार अफ्रीका के आधुनिकीकरण के मार्ग के लिए चीन के व्यावहारिक समर्थन का अफ्रीकी देशों की बढ़ती संख्या द्वारा स्वागत किया गया है।"

संभावित धुरी

- अफ्रीका में चीन की भागीदारी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के रूप में, कोविड-19 महामारी से पहले दो दशकों में तेजी से बढ़ी।
- चीनी कंपनियों ने पूरे महाद्वीप में बंदरगाह, पनबिजली संयंत्र और रेलवे का निर्माण किया, जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से सरकारी ऋणों के माध्यम से किया गया।
- बोस्टन विश्वविद्यालय में ग्लोबल चाइना इनिशिएटिव के अनुसार, 2016 में वार्षिक ऋण प्रतिबद्धता \$28.4 बिलियन के शिखर पर पहुंच गई।
- लेकिन कई परियोजनाएं निरपेक्ष रूप से लाभहीन साबित हुईं।
- चूंकि कुछ सरकारें ऋण चुकाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, इसलिए चीन ने ऋण देना बंद कर दिया।
- साथ ही कोविड -19 ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में रुकावट उत्पन्न किया, और अफ्रीका में चीनी निर्माण परियोजनाएं पूरी तरह से रुक गयीं।
- यद्यपि चीन द्वारा विभिन्न अफ्रीकी देशों को दिए गए संप्रभु ऋण में वापसी की उम्मीद नहीं है।
- फिर भी चीन द्वारा चीनी फर्मों को इविवटी हिस्सेदारी लेने और विदेशी सरकारों के लिए उनके द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे को संचालित करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
- चीन के विश्लेषकों के अनुसार इसका उद्देश्य फर्मों को उच्च मूल्य के अनुबंध जीतने में मदद करना है और उन्हें इन विकास योजनाओं में शामिल करके यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों।

चीनी निवेश के विभिन्न परिपेक्ष्य

- अमेरिकी विश्वविद्यालय विलियम एंड मैरी के एक शोध केंद्र एड डेटा द्वारा रॉयटर्स के साथ विशेष रूप से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को ऋण देना, शायद पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) बुनियादी ढांचे में निवेश का सबसे आम साधन है, जो चीन के विदेशी ऋणों के अनुपात के रूप में बढ़ रहा है।
- 668 मिलियन डॉलर की लागत से बना नैरोबी एक्सप्रेसवे, जो सरकारी स्वामित्व वाली चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन (CRBC) द्वारा निर्मित और संचालित एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, अफ्रीका में मॉडल के लिए अवधारणा का प्रमाण हो सकता है।
- अगस्त 2022 में खुलने के बाद से, टोल रोड यात्रियों को केन्याई राजधानी के कुख्यात ट्रैफिक जाम से ऊपर की गति से चलने की अनुमति दे रहा है, जिससे राजस्व और उपयोग लक्ष्य से अधिक हो गया है।
- हालांकि अफ्रीका में चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन (CRBC) के उदाहरण का अनुसरण करने वाली कुछ ही कंपनियाँ हैं।
- विश्लेषक इसके कई संभावित कारणों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें कई अफ्रीकी देशों में पीपीपी के लिए कानूनी ढांचे का अभाव और कुछ चीनी कंपनियों (जिनमें से कई पीपीपी में अपेक्षाकृत नई हैं) का यह विचार शामिल है कि अफ्रीकी बाजार जोखिम भरे हैं।

बढ़ती हुई सहभागिता

- ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट ने पिछले वर्ष अफ्रीका में चीन की कुल भागीदारी (निर्माण अनुबंधों और निवेश प्रतिबद्धताओं का संयोजन) 21.7 बिलियन डॉलर बताई थी, जिससे यह सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्राप्तकर्ता बन गया।

- वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2023 में निवेश लगभग 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो वर्ष 2005 में अफ्रीका में चीनी आर्थिक गतिविधि पर नज़र रखने के बाद से उच्चतम स्तर है।
- महत्वपूर्ण खनिजों की खोज से बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी तेजी आ रही है। उदाहरण के लिए, जनवरी में चीनी कंपनियों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ अपने कॉपर और कोबाल्ट संयुक्त उद्यम समझौते में संशोधन के तहत बुनियादी ढांचे में 7 बिलियन डॉलर तक के निवेश का लक्ष्य रखा गया था।
- गौरतलब है कि पश्चिमी और खाड़ी शक्तियां भी विश्व के ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए इस दौड़ में हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय सरकारें लोबियो कॉरिडोर का समर्थन कर रही हैं, जो जाम्बिया और कांगो से धातुओं को अफ्रीका के अटलांटिक तट तक लाने के लिए एक रेल संपर्क है।

चीन-अफ्रीका संबंधों के ऐतिहासिक संदर्भ

- दरअसल चीन-अफ्रीका संबंध 1950 के दशक से चले आ रहे हैं, जो अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों के समर्थन पर आधारित हैं।
- 70 के दशक में, अफ्रीकी समर्थन ने चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- वर्ष 1999 में चीन द्वारा अफ्रीका में निवेश को प्रोत्साहित करने ("गो आउट पॉलिसी") के साथ वैचारिक समर्थन में परिवर्तन हुआ।
- वर्ष 2000 में चीन-अफ्रीका सहयोग मंच (FOCAC) की स्थापना हुई, जो कूटनीति, निवेश और व्यापार की ओर बदलाव का प्रतीक था।
- वर्ष 2013 में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) ने आर्थिक और सामरिक संबंधों को गहरा किया।

अफ्रीका में चीनी हित

- अफ्रीका विश्व के 90% कोबाल्ट और प्लैटिनम तथा 75% कोल्टन की आपूर्ति करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक है, तथा चीन की अफ्रीका में बड़ी रिफाइनरियां हैं।
- अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे बड़ा समूह है और चीन के विवादास्पद मुद्दों का संभावित समर्थक है।
- अफ्रीका ने ताइवान और हांगकांग के मुद्दों पर "एक चीन नीति" का समर्थन किया है।
- "युआन-आधारित पांडा बांड" और "ऋण पुनर्गठन" के साथ, चीन डॉलर के विकल्प के रूप में युआन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
- अफ्रीका की युवा आबादी और सस्ता श्रम बल चीनी निर्यात को समर्थन देता है।

चीनी निवेश से बदलता अफ्रीका

- चीन का निवेश, व्यापार और विकास सहायता अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है।
- अफ्रीका में किया गया चीनी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- चीन निर्मित बुनियादी ढांचे और औद्योगिक पार्क रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
- संकर फसलों के लिए चीनी समर्थन से अफ्रीका को अपने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
- साथ ही अफ्रीका दीर्घकालिक रूप में "मेड इन अफ्रीका" अवधारणा के क्रियान्वयन हेतु चीनी निवेश के प्रति उत्साहित रहता है।

विद्यमान चुनौतियाँ

- चीनी गतिविधियों से जुड़े शिकारी निवेश (निवेश से चीन को एकतरफा लाभ) और ऋण जाल के बारे में चिंताएं हैं।
- खराब तरीके से प्रबंधित ऋणों के कुछ उदाहरण चीनी प्रभाव की स्थिरता पर सवाल उठाते हैं।
- हस्तक्षेप न करने का रुख अनजाने में सत्तावादी शासन को समर्थन दे सकता है।

भारत पर प्रभाव

- अफ्रीका में चीन का आर्थिक प्रभाव भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहा है।
- अफ्रीका में संसाधनों और बाजारों तक पहुंच एक साझा हित है, जिससे आर्थिक प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है।
- जिबूती में चीन की बढ़ती सामरिक उपस्थिति और नौसैनिक अड्डा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चिंता पैदा करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी देशों पर चीन का प्रभाव भारत की कूटनीतिक पहलों पर असर डाल सकता है।
- अफ्रीका में चीन की विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, पैमाने की दृष्टि से भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा में चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं।
- अंततः भारत को चीनी निवेश से जुड़े ऋण जाल से संबंधित चिंताओं का समाधान करना होगा तथा विकास सहायता के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करना होगा।

पूर्वोत्तर भारत में चक्रवाती बारिश से भूस्खलन का खतरा

चर्चा में क्यों?

- 26 मई की रात को पूर्वी तट पर आए चक्रवात रेमल के कारण पश्चिम बंगाल में छह लोगों की मौत हो गई।
- तटीय जिलों में कम से कम 27,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए।
- हालांकि प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली और समय पर निकासी ने पिछले कुछ वर्षों में चक्रवातों से होने वाली मानवीय क्षति को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन आकस्मिक प्रकृति की कुछ मौतों और तटीय क्षेत्रों में छप्पर या कमजोर संरचनाओं का विनाश संभव है।



पूर्वोत्तर भारत में आपदा सुभेद्यता

- हाल ही में चक्रवात रेमल के कारण अपेक्षाकृत सुदूर पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर क्षति हुई है।
- साथ ही चक्रवात के कारण हुई भारी बारिश के कारण मेघालय, मिजोरम, असम और नागालैंड में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण अब तक कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है।
- अकेले मिजोरम के आइजोल में एक पत्थर की खदान ढहने से कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है।
- भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने सभी चक्रवात बुलेटिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी थी।
- सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल सहित लगभग पूरा क्षेत्र भूस्खलन की आशंका वाला है।
- चक्रवात से प्रेरित भूस्खलन पहले भी पूर्वोत्तर राज्यों में हो चुका है।
- मई 2009 में चक्रवात आइला के कारण इस क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएँ हुई थीं।
- पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने ऐसी घटनाएँ देखी हैं जिनमें भारी वर्षा के कारण ग्लेशियल झीलें टूट गई हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ गई है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन और बाढ़ आई है।

भूस्खलन की संवेदनशीलता

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के अनुसार, भारत का लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किमी भूभाग, या लगभग 13% क्षेत्र, जो 15 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है।
- इसमें देश के लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इस संवेदनशील क्षेत्र का लगभग 0.18 मिलियन वर्ग किमी या 42% हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जहां का अधिकांश भूभाग पहाड़ी है।
- यह क्षेत्र भूकंप के प्रति भी संवेदनशील है, जो भूस्खलन का प्रमुख कारण है।
- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2015 से 2022 के बीच, सिक्किम सहित इस क्षेत्र के आठ राज्यों में 378 बड़ी भूस्खलन की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का नुकसान हुआ।
- ये घटनाएँ इस अवधि के दौरान भारत में हुए सभी बड़े भूस्खलनों का 10% हिस्सा थीं।
- पूरे देश में, केरल में सबसे ज्यादा (2,239) भूस्खलन हुए, जिनमें से ज्यादातर राज्य में 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद हुए।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भूस्खलन से होने वाले जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए जीएसआई और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ

- कुछ पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की गई हैं और कुछ स्थानों पर परीक्षण के आधार पर उन्हें तैनात किया गया है। ये चेतावनी प्रणालियाँ IMD के वर्षा पूर्वानुमानों से जुड़ी हुई हैं।
- वर्षा की भविष्यवाणी को मिट्टी और भूभाग की जानकारी के साथ जोड़कर यह गणना की जाती है कि क्या इससे भूमि के विस्थापन की संभावना है।
- रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) के वैज्ञानिक देबी प्रसन्ना कानूनगो के अनुसार, "पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर भूस्खलन भारी बारिश के कारण होते हैं।
- भूकंप के कारण भी भूस्खलन हो सकता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले एक या दो दशकों में भूकंप के कारण कोई बड़ा भूस्खलन नहीं हुआ है।"
- किसी भी मामले में, चूँकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए हमारे पास भूकंप के आधार पर भूस्खलन की पूर्व चेतावनी नहीं हो सकती। लेकिन भूस्खलन के लिए वर्षा-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली अच्छी तरह से काम करती दिखती है,
- अब तक, इनमें से केवल कुछ ही स्थान-विशिष्ट पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ तैनात की गई हैं।

- सीबीआरआई और आईआईटी रुड़की सिविकम में दो स्थानों, उत्तराखंड में दो और केरल में एक स्थान पर इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। आईआईटी मंडी जैसे अन्य संस्थान भी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने और स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं।
- दूसरी ओर, वर्षा का पूर्वानुमान काफी पहले आ जाता है। विश्वसनीय स्थान-विशिष्ट पूर्वानुमान कम से कम एक दिन पहले उपलब्ध होते हैं। वैज्ञानिक प्रत्येक भूस्खलन-प्रवण स्थान पर भूमि की हलचल और मिट्टी के विस्थापन के लिए वर्षा सीमा निर्धारित करते हैं। यदि वर्षा का पूर्वानुमान सीमा से अधिक है, तो भूस्खलन के लिए पहले से चेतावनी जारी की जाती है।
- आमतौर पर एक दिन की बारिश से भूस्खलन नहीं होता, जब तक कि बादल फटने की घटना न हो। एक हफ्ते या 10 दिनों तक लगातार भारी बारिश खतरनाक हो जाती है।
- पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के लंबे दौर के कारण लगभग 500 भूस्खलन की घटनाएं हुईं।

मानवीय दबाव

- भूस्खलन का जोखिम इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इलाके की भार सहने की क्षमता के बारे में सचेत नहीं रहा गया।
- कई पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण के नियम नहीं हैं।
- अक्सर, नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता।
- नए निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और यहां तक कि कृषि पद्धतियां भी भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- यद्यपि हर पहाड़ी क्षेत्र की एक वहन क्षमता होती है।
- अपितु विकासपरक गतिविधियां भी आवश्यक है, फलतः स्थानीय आबादी के लिए बुनियादी ढांचे या नई सुविधाओं या आर्थिक गतिविधि के निर्माण को रोकना नहीं सकता, लेकिन इन्हें विनियमित किया जाना चाहिए।
- फलतः किसी क्षेत्र विशेष की स्थिरता को ध्यान में रखना अति-महत्वपूर्ण है, ताकि उस क्षेत्र विशेष में दबाव, उसकी भार वहन क्षमता से अधिक न हो।
- इस हेतु ज़ोनिंग विनियमन की भूमिका सामने आती है, इन्हें अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

भारत में भूस्खलन संभावित क्षेत्र (भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार)

- भारत विश्व में भूस्खलन-प्रवण शीर्ष पांच देशों में से एक है।
- बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर भारत का लगभग 12.6 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूस्खलन से प्रभावित है।
- भारत में भूस्खलनों का लगभग 66.5 प्रतिशत उत्तर-पश्चिमी हिमालय से, लगभग 18.8 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी हिमालय से और लगभग 14.7 प्रतिशत पश्चिमी घाट से दर्ज किया जाता है।

भारत में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र

- पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत के कुल भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा)
- हिमालय के किनारे स्थित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र।
- पश्चिमी घाट पर स्थित महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र।
- आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के किनारे स्थित अराकू क्षेत्र।

भूस्खलन हेतु उठाए गए कदम

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भूस्खलन सहित कई प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण संस्थागत और कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- वर्ष 2019 में एक राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें भेद्यता मानचित्रण, सबसे कमजोर स्थानों की पहचान, एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास और पर्वतीय क्षेत्र विनियमन तैयार करने की बात कही गई थी। हालांकि अभी भी अधिकांश काम किया जाना बाकी है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूस्खलन जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देश (2009) जारी किए हैं, जिनमें भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा दी गई है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को क्षमता निर्माण और अन्य सहायता प्रदान करता है।
- मौसम की बेहतर भविष्यवाणी की दिशा में प्रयास किए गए हैं। जैसे: एनसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम, इससे भूस्खलन जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- पूर्वोत्तर भारत में भूस्खलन का खतरा इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि भूभाग की भार सहने की क्षमता के प्रति सचेत नहीं रहा गया।
- कई पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण से जुड़े नियम नहीं हैं। अक्सर, नियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता।
- नये निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और यहां तक कि कृषि संबंधी कार्य भी भूस्खलन के खतरे को बढ़ा सकते हैं।
- यद्यपि सरकार के लिए भूस्खलन की घटनाओं को पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं है।
- हालांकि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सैंड्राई फ्रेमवर्क के अनुरूप मजबूत लचीलापन विकसित करके इसके प्रतिकूल प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।